



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE
INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour &
Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL
OFFICE,
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-
208005
PANCHDEEP BHAWAN,
SARVODAYA NAGAR, KANPUR-
208005
Phone: 0512-2217957
Email: rd-up@esic.nic.in

पत्र सं. 21-ए-33/16/LDCtoUDC(DPC)/1/2016-स्था.

दिनांक – 01-01-2026

कार्यालय आदेश सं. 03 वर्ष 2026

Office Order No. 03 of Year 2026

सक्षम अधिकारी ने दिनांक- 18.12.2025 को आयोजित हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों की अवर श्रेणी लिपिक से प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित पदोन्नति के आदेश दिए हैं। वेतनमान पे लेवल-4 (रु. 25,500-81,100) में नियमानुसार देय होगा।

On the basis of recommendations made by Departmental Promotion Committee held on 18.12.2025, the Competent Authority has ordered for the regular promotion of the following officials from the post of Lower Division Clerk to the post of Upper Division Clerk. The pay scale shall be admissible as per rules in Pay Level-4 (Rs. 25,500-81,100).

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (सर्व श्री/ श्रीमती), पद, कर्मचारी संख्या	श्रेणी/ उपश्रेणी	पदोन्नति की श्रेणी/ उपश्रेणी	वर्तमान तैनाती
1.	सीमान्त कुमार, अ.श्रे.लि., 138896	OBC	UR	उ.क्षे.का. वाराणसी
2.	अजय कुमार, अ.श्रे.लि., 160247	UR	UR	शाखा कार्यालय, झाँसी
3.	रुबल सिंह, अ.श्रे.लि., 138517	UR	UR	उ.क्षे.का. लखनऊ
4.	आरती देवी, अ.श्रे.लि., 138513	OBC	UR	उ.क्षे.का. लखनऊ
5.	परमजीत कुमार, अ.श्रे.लि., 139826	OBC	UR	उ.क्षे.का. वाराणसी
6.	खीन्द्र कुमार, अ.श्रे.लि., 175639	SC	SC	उ.क्षे.का. लखनऊ

उपरोक्त कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति कर्मचारी द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

The regular promotion of the above-mentioned employees shall be effective from the date of assumption of charge by the employee.

उक्त कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई है तथा ऐसी सेवा शर्तों के अधीन है, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी वृन्द एवं सेवा शर्तों विनियम 2023), जो समय- समय पर संशोधित किया जाता रहा है, में उल्लिखित हैं। उपरोक्त क्र.सं. 1, 2, 3 व 5 के कार्मिकों द्वारा प्रवर श्रेणी लिपिक के भर्ती विनियम के अनुसार पदोन्नति हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है, अतः उनकी पदोन्नति इस शर्त के अधीन होगी कि वह विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि दि. 18.12.2025 से 01 वर्ष के अन्दर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

The regular promotion of the aforesaid employees has been made on a temporary basis and the service conditions are governed by the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service Regulations, 2023), as amended from time to time. The employees mentioned at Sr. No. 1, 2, 3, and 5 have not undergone the necessary training for promotion as per the recruitment regulations for Upper Division Clerks. Therefore, their promotion will be subject to the condition that they ensure completion of the required training within one year from the date of the Departmental Promotion Committee meeting, i.e., December 18, 2025.

उपरोक्त कर्मचारियों की तैनाती फिलहाल उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही की गई है, स्थानांतरण आदेश देय अनुक्रम में भविष्य में अलग से जारी किए जाएंगे।

The above officials are currently posted at their present place of posting, transfer orders will be issued separately in due course.

पदोन्नत कर्मचारी का वेतन नियतन नियमानुसार FR22(I)a(I) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। पदोन्नत कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने की तिथि से 01 माह के अंदर FR22(I)a(I) के अंतर्गत वेतन नियतन हेतु अपना विकल्प देना होगा। विलम्ब से प्राप्त होने वाले विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा।

The pay fixation of the promoted employees will be done as per rules under the provisions of FR22(I)a(I). The promoted employees must submit their option for pay fixation under FR22(I)a(1) within one month from the date of issue of this order. Options received late will not be considered.

पदोन्नति स्वीकार/ अस्वीकार करने की सूचना दिनांक- 10.01.2026 तक अवश्य स्थापना शाखा-I, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर को प्रेषित कर दी जाए तथा आवश्यक कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण रिपोर्ट यथाशीघ्र सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

Information regarding acceptance/rejection of the promotion must be sent to Establishment Branch-I, Regional Office, Kanpur by 10.01.2026 and necessary relieving/joining report may be sent to all concerned as soon as possible.

(अनुराग कुमार/ Anurag Kumar)

उप निदेशक (स्थापना-I)/ Dy. Director (Estt-I)

प्रतिलिपि-

1. संबंधित कर्मचारी (नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से)/ The employee concerned (through controlling officer).
2. महानिदेशक (स्थापना-II), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / The Director General (Establishment-II), Headquarters, Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi for information and necessary action.
3. क्षेत्रीय निदेशक महोदय के निजी सचिव, निजी सचिव अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ / Private Secretary to Regional Director, Private Secretary Section, Regional Office, Employees' State Insurance Corporation, Kanpur for information and necessary action.
4. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नोएडा/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / Joint Director (In-charge), Sub Regional Office, Employees' State Insurance Corporation, Noida / Lucknow / Varanasi for information and necessary action.
5. शाखाधिकारी, वित्त एवं लेखा / रोकड़ / स्थापना-II/ सामान्य/ सतर्कता /राजभाषा /आई.टी. शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु / Branch Officer, Finance & Accounts/ Cash/ Establishment -II/ General/ Vigilance/ Rajbhasha/ IT Branch, Regional Office, Employees' State Insurance Corporation, Kanpur for information and necessary action.
6. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, झाँसी को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु / Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Jhansi for information and necessary action.
7. शाखाधिकारी, आई.टी. शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस कार्यालय आदेश को क्षे.का., कानपुर की वेबसाइट पर अपलोड करायें / The Branch Officer, IT Branch, Regional Office, Employees' State Insurance Corporation, Kanpur with the request to kindly upload this office order on the website of Regional Office, Kanpur.
8. नोडल अधिकारी, ई-आफिस, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु / Nodal Officer, E-Office, Regional Office, Employees' State Insurance Corporation, Kanpur for information and necessary action.
9. सहायक, वरिष्ठता/ रोस्टर / DA Seniority/Roster.
10. कार्यालय आदेश पुस्तिका / Office Order File.

